न्यायालय, जिला न्यायाधीश, गोपालगंज ।

चन्द्रभान सिंह   बनाम   मो0 रूमा देवी वगैरह

प्रोबेट वाद संख्या 96/2022

06.04.2023 उभय पक्ष की हाजरी दी गई । आवेदक के तरफ से विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा दिनांक 13.03.2023 को दाखिल आवेदन का प्रतिउत्तर दिया गया ।

वाद पुकारा गया । उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया ।

वाद पुकारा गया । उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए । विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4 के तरफ से आदेश 9 नियम 7 एवं धारा 151 दिवानी प्रक्रिया संहिता के अधीन दिनांक 13.03.2023 को दाखिल आवेदन को संचालित करते हुए कथन किये कि दिनांक 27.01.2023 को विपक्षीगण पर सम्मन तामिल मान कर उसी दिन एकपक्षीय सुनवाई करने का आदेश पारित किया गया है जब कि विधि का प्रावधान है कि तामिला मानने के दिन एकपक्षीय सुनवाई का आदेश नहीं पारित करना है । विपक्षी संख्या 1 से 4 दिनांक 24.02.2023 को उपस्थित होकर धारा 151 दिवानी प्रक्रिया संहिता के अधीन एकपक्षीय आदेश को वापस लेने का आवेदन दिया था उसी आवेदन के क्रम में यह आवेदन दिया गया है । विपक्षी संख्या 1 पचहत्तर वर्ष की वृद्ध महिला है तथा अन्य विपक्षीगण बाहर में रहकर कमाता है । अंत में प्रार्थना किया गया है कि दिनांक 27.01.2023 को पारित आदेश को वापस लेकर उसे अपना पक्ष रखने के लिए अवसर प्रदान किया जाये ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आवेदक के तरफ से प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए कथन किये कि इस वाद में दिनांक 27.01.2023 को विपक्षीगण के विरूद्ध नोटिश का तामिला से संतुष्ट होने के पश्चात न्यायालय द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया । विपक्षीगण को नोटिश निर्गत होने की बखुबी जानकारी थी वाबजूद इसके विपक्षीगण निर्धारित तिथि को इस केस में उपस्थित नहीं हुए । आवेदक दिनांक 13.03.2023 को शपथ पत्र के साथ साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुआ तो विपक्षीगण ने उक्त आवेदन दिया है । इसलिए विपक्षीगण का आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं ।

लगातार 06.04.2023

चूंकि विपक्षी संख्या 1 से 4 इस प्रोबेट वाद में संघर्ष करना चाहता है तथा न्याय की भी यही मंशा होती है कि उभय पक्ष को सुनकर गुण–दोष के आधार पर वाद का निष्पादन किया जाये । न्याय हित में एवं वाद की बहुलता न हो को ध्यान में रखते हुए विपक्षी संख्या 1 से 4 का आवेदन दिनांक 13.03.2023 को मो0 500/– रूपया खर्चा विपक्षी संख्या 1 से 4 के द्वारा आवेदक को भुगतान करने पर **स्वीकृत** करते हुए संघर्ष करने की अनुमति दी जाती है।

दिनांक .... अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

जिला न्यायाधीश, गोपालगंज ।